बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः—3/अ0प्र0—01—263/2012 1818 /पटना, दिनांक :— 23.8.23

रिविलगंज प्रखंड अन्तर्गत गरीबा टोला से आलेख टोला बाजार होते हुए गरीब टोला (स्व0 बैद्यनाथ प्रसाद के घर तक) PCC पथ निर्माण, रिविलगंज प्रखंड अन्तर्गत सिताब दियारा ग्राम में BST बाँध से गरीब टोला ढ़ाला होते हुए गरीबा टोला उच्च विद्यालय तक PCC पथ का निर्माण एवं रिविलगंज प्रखंड अन्तर्गत BST बाँध से राजेन्द्र सिंह के घर होते हुए छोछा बैज़ू टोला तक PCC पथ का निर्माण में अनियमितता के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर गठित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक—1208 अनु0 दिनांक—28.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता—3 से कराई गई। मुख्य अभियंता—3 द्वारा समीक्षा में कुल 4,76,252/— रू0 मांत्र की वित्तीय अनियमितता होने का मंतव्य प्राप्त हुआ। उक्त 4,76,252/— रू0 में से समानुपातिक राशि रू0 23813/— मात्र की वसूली श्री राम से करने तथा संवेदक के विपत्र से Time Extensiton की राशि की कटौती नहीं किए जाने के कारण श्री राम, तदेन कार्यपालक अभियंता का स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया गया।

3. मुख्य अभियंता—3 द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त श्री राम से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक 649 दिनांक—28.03.2023 द्वारा श्री राम से वित्तीय क्षति की समानुपातिक वसूली के तहत कुल रूपये रू0 23813/— मात्र की वसूली करने तथा संवेदक के विपत्र से Time Extensiton की राशि की कटौती नहीं किए जाने के संबंध में कारण पृच्छा की माँग की गयी।

4. श्री राम के पत्रांक शून्य दिनांक—13.04.2023 द्वारा विभाग को कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री राम से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा मुख्य अभियंता—3 द्वारा की गयी। मुख्य अभियंता—3 द्वारा किये गये समीक्षा का मुख्य अंश निम्नवत्त है :—

"वित्तीय क्षति की गणना जाँच प्रतिवेदन में अंकित औसत मापी के अनुसार की गई है। श्री राजेन्द्र प्रसाद राम ने अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से विभागीय कार्यालय आदेश सं0—66 पटना, दिनांक 03.10.2013 को संलग्न करते हुए औसत मापी के आधार पर एवं संवेदक के विपत्र से Time Extension के राशि का कटौती नही किये जाने हेतु प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी को दोषी मानते हुए पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया है। कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि निर्धारित तिथि से अधिक होने पर Time Extension के राशि की कटौती की जाती है कार्य से संबंधित आकडे संबंधित अभियंताओं से प्राप्त होती है। Memo of Payment में कार्यपालक अभियंता को हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि संबंधित

कटौतियाँ कर ली गई है। इस संबंध में बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 223 में उल्लेख है कि मुख्यतः प्रमंडल पदाधिकारी ही प्रमंडल का जिम्मेवार व्ययन पदाधिकारी है। अतः श्री राम का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं हो रहा है।"

5. मुख्य अभियंता–3 से प्राप्त उक्त मंतव्य पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। जिसमें अभियंता प्रमुख द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राम के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किये जाने का मंतव्य दिया गया है।

6. अतः सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत रू0 23813/– मात्र की वसूली उनके अनुमान्य सेवान्त लाभ से कटौती करने एवं पेंशन से अगले दो वर्षों तक 10% (दस प्रतिशत) की कटौती करने का निर्णय लिया गया।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 सम्प्रति सेवानिवृत्त के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुये इनके विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

(i) श्री राम के अनुमान्य सेवान्त लाभ से राशि रू0 23,813/– मात्र की वसूली

तथा

(ii) श्री राम के पेंशन से अगले दो वर्षों तक 10(दस) प्रतिशत की मासिक कटौती।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/8/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–263/2012 1817 दिनांक :– 23.8.23

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–263/2012 1817 दिनांक :– 23.8.23

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/2023

विशेष सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—263/2012 1817 दिनांक :— 23.8.23

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव/सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, छपरा/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा—1/प्रशाखा पदाधिकारी—6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार पता—सुभकामना कॉलोनी, ईस्ट लक्ष्मी नगर, खेमनीचक, सम्पतचक, न्यू जगनपुरा, पटना, बिहार, पिन—800030 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—263/2012 1817 दिनांक :— 23.8.23

प्रतिलिपि :— माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।

16/8/2023
विशेष सचिव

(N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in